न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 152 / 2022

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. बस्तीराम पुत्र कानाराम जाति मेवाडा निवासी रामासनी बाला हाल निवासी पाली तहसील व जिला पाली राजस्थान जरिये आम मुख्तीयार खीवाराम पुत्र कानाराम मेवाडा निवासी रामासनीबाला हाल निवासी पाली तहसील व जिला पाली		1. पुखाराम पुत्र छगाराम जाति मेवाडा निवासी रामासनी बाला 2 तहसीलदार सोजत

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 15/03/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रामासनी बाला में खसरा संख्या 956 रकबा 0.0100 हैक्टर तथा खसरा संख्या 957 रकबा 0.3300 हैक्टर गैर मुमकिन सडा की भूमि आई हुई स्थित है जो कृषि भूमि प्रार्थी के प्रिन्सिपल विकेला पुखाराम पुत्र छगाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। पुखा पुत्र छगा द्वारा अपने हिस्से में सें 1/30 वा हिस्सा प्रार्थी बस्तीराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचान रजिस्ट्री द्वारा दिनांक16.07.1977 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त बैचान रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में पुखा पुत्र छगा के स्थान पर खातेदारी दर्ज करवाये जाने हेतु दस्तावेज तहसीलदार सोजत को पेश किए गये। जिससे नामा0 संख्या 118 दर्ज कर पुखा पुत्र छगा 1/30 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज की गई। किन्तु जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2043 से 2046 के पश्चात राजस्व अधिकारीयों द्वारा चौसाला तैयार करते समय गलती व त्रूटिवश बस्तीराम पुत्र कानाराम के स्थान पर पुखा छगा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जो एक सद्भाविक त्रूटि है। जिसे दुरूस्त किये जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी 01 बावजुद सूचना व तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित

रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार, सोजत को वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है जिससे की रिपोर्ट के आदेश को प्रतिहारित किया जाकर प्रकरण में बहस सूनी जावे। जिससे की तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश को प्रतिहारित किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदेन किया कि प्रार्थी के प्रिन्सिपल विक्रेला पुखाराम पुत्र छगाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। पुखा पुत्र छगा द्वारा अपने हिस्से में सें 1/30 वा हिस्सा प्रार्थी बस्तीराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचान रजिस्ट्री द्वारा दिनांक16.07.1977 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त बैचान रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में पुखा पुत्र छगा के स्थान पर खातेदारी दर्ज करवाये जाने हेतु दस्तावेज तहसीलदार सोजत को पेश किए गये। जिससे नामा0 संख्या 118 दर्ज कर पुखा पुत्र छगा 1/30 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज की गई। किन्तु जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2043 से 2046 के पश्चात राजस्व अधिकारीयों द्वारा चौसाला तैयार करते समय गलती व त्रूटिवश बस्तीराम पुत्र कानाराम के स्थान पर पुखा छगा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जो एक सद्भाविक त्रूटि है। जिसे दुरूस्त किये जाने की ईस्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, फहरिस्त मय दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत बैचान रजिस्ट्री दिनांक 16.07.1977 से स्पष्ट है कि पुखा पुत्र छगा द्वारा अपने 1/30 हिस्से का बैचान प्रार्थी के पक्ष में कर दिया गया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 118 दर्ज कर प्रार्थी को खातेदार अधिकार प्रदत्त हुए । किन्तु सम्वत 2043 से 2046 की जमाबन्दी के पश्चात प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड से बिना कोई सक्षम आदेश / बैचान हटा दिया गया। जिससे की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो की दस्तावेजी साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रामासनी बाला में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 956

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रकबा 0.0100 तथा खसरा नम्बर 957 रकबा 0.3300 हैक्टर किस्म गै0मु0 सडा में नामान्तरकरण संख्या 118 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पुखा पुत्र छगा के स्थान पर दुरूस्त इन्द्राज करते हुए बस्तीराम पुत्र कानानाम का नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)